

**जल क्रीड़ा केन्द्र बिलासपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 7/2003 से 3/2014**

1 प्रारम्भिक:—

(क) जल क्रीड़ा केन्द्र, बिलासपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के अवधि 7/2003 से 3/2014 के लेखों का प्रथम अंकेक्षण, श्री चम्बेल सिंह परमार अनुभाग अधिकारी द्वारा 18.7.2014 से दिनांक 25.7.2014 के दौरान बिलासपुर में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 7/2003, 10/2004, 8/2005, 5/2006, 11/2007, 11/2008, 5/2009, 7/2010, 12/2011, 11/2012, 1/2014 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 10/2003, 12/2004, 3/2006, 5/2006, 11/2007, 4/2008, 2/2010, 11/2010, 6/2011, 12/2012 तथा 3/2014 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैरों में समाविष्ट किया गया है।

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन जल क्रीड़ा केन्द्र बिलासपुर के प्रभारी द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा प्रदान की गई गलत सूचनाओं अथवा सूचना प्रदान न करने अथवा अपूर्ण सूचनाएँ प्रस्तुत करने की अवस्था में इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु उत्तरदायी नहीं है।

(ख) अंकेक्षण के दौरान संस्था में निम्नलिखित आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्यरत रहे:—

क्र०सं०	अधिकारी का नाम/पद	अवधि
1	श्री रेलू राम ठाकुर उप निदेशक	1.7.2003 से 28.7.2011
2	श्री धर्म सिंह ठाकुर वरिष्ठ प्रशिक्षक	29.7.2011 से 27.2.2012
3	श्री राकेश वालिया प्रशिक्षक	28.2.2012 से 31.3.2014

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार:—

क्र०सं०	पैरा सं०	विवरण	राशि लाखों में
1	5	विभिन्न विभागों से किराये के रूप में राशि का वसूली शेष पाया जाना	0.74
2	6	निर्धारित दरों से कम राशि की वसूली करना	0.16
3	7	वसूली गई राशि को जमा न करवाना	0.05

2 अंकेक्षण शुल्क:—

जल क्रीड़ा केन्द्र बिलासपुर के अवधि 7/2003 से 3/2014 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹4200/— आँका गया है। लेखा परीक्षा की अधियाचना संख्या 107 दिनांक 25.7.2014 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 को भेजने हेतु प्रशिक्षक/प्रभारी जल क्रीड़ा बिलासपुर से अनुरोध किया गया।

3 वित्तीय स्थिति:—

(क) जल क्रीड़ा केन्द्र बिलासपुर द्वारा प्रस्तुत केन्द्र के अवधि 7/2003 से 3/2014 के लेखों की वित्तीय स्थिति का विवरण परिशिष्ट "क" पर दिया गया है।

(ख) वित्तीय स्थिति एवं रोकड़ बही के अन्तःशेष में 31.3.2014 को ₹130 का अन्तर पाया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:—

क्र०सं०	अन्तर का कारण	राशि
1	दिनांक 23.8.2003 को हस्तगत की शेष ₹1837 के स्थान पर ₹1787/— दर्शाई गई थी। इस प्रकार शेष ₹50 से कम दर्शाई गई थी।	50
2	दिनांक 5.1.2010 को हस्तगत शेष की ₹5461 के स्थान पर ₹5381 दर्शाई गई थी। इस प्रकार शेष ₹80/— से कम दर्शाई गई थी	80
कुल राशि=		₹130

दिनांक 5.1.2010 को दर्शाई गई अन्तर की उक्त ₹80 लेखा परीक्षा के दौरान दिनांक 27.7.2014 को रोकड़ बही में रसीद संख्या 984 दिनांक 27.7.2014 द्वारा जमा कर दी गई। अतः दिनांक 23.8.2003 को दर्शाई गई अन्तर की ₹50/— की भी उचित माध्यम से वसूली करके इसे लेखों में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4 निवेश:—

जल क्रीड़ा केन्द्र बिलासपुर के खाते से दिनांक 27.3.2014 को ₹400000/— सावधि जमा खाता संख्या 10630308553 में एक वर्ष की अवधि के लिए निवेश की गई थी। सावधि जमा खाते में निवेश की गई राशि को उसकी परिपक्वता तिथि को भुनाया जाना अथवा पुनः निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 विभिन्न विभागों से किराये के रूप में ₹74180/- का वसूली शेष पाया जाना:-

अंकेक्षण के दौरान अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि जल क्रीड़ा केन्द्र बिलासपुर में ठहरने हेतु विभिन्न विभागों से किराये के रूप में दिनांक 31.3.2014 को निम्नविवरणानुसार ₹74180/- वसूली योग्य शेष थी।

क्र० सं०	रजिस्टर क्र०सं०	कार्यालय का नाम	कमरा नं०/अन्य विवरण	ठहरने की अवधि	(कमरा की सं०xदिनxदर)	राशि
1	76	कमाडिंग ऑफिसर प्रथम नेबल यूनिट एन०सी०सी० बिलासपुर	कमरा नं० 2, 3, 5, 6, 13, 14 क्यूवीकल	24.3.04 से 5.4.04	(6x12x100)	7200
			कमरा नं० 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20 डोरमैटरी	24.3.04 से 5.4.04	(7x12x160)	13440
			हॉल नं० 1 व 2	24.3.04 से 5.4.04	(2x12x300)	7200
			कमरा नं० 4 डोरमैटरी	18.3.04 से 5.4.04	(1x18x160)	2880
			हॉल नं० 2	6.4.04 से 5.5.04	(1x29x300)	8700
			कमरा नं० 4 (डी)	6.4.04 से 5.5.04	(1x29x160)	4640
			कमरा नं० 4 (डी)	6.5.04 से 22.6.04	(1x48x160)	7680
					जोड़	51740
2	44	एस०डी०एन० ऑफिस बिलासपुर	डाईनिंग हॉल	12.3.13 से 23.3.13	(1x12x500)	6000
3	73	—यथोपरि—	डाईनिंग हॉल	7.3.14 से 23.3.14	(1x17x500)	8500
4	75	एस०पी० ऑफिस बिलासपुर	रसोई+पैन्ट्री	19.3.14 से 23.3.14	(1x5x500)	2500

			कमरे 3 नं०	19.3.14 से 22.3.14	(3x4x200)	2400
			कमरा 1 नं०	20.3.14 से 22.3.14	(1x2x200)	400
			डोरमैटरी कमरा 3 नं०	20.3.14 से 23.3.14	(3x3x240)	2160
			डोर मैटरी कमरा 1 नं०	21.3.14 से 23.3.14	(1x2x240)	480
					योग	7940
		प्राप्ति योग्य कुल राशि (₹51760+6000+8500+7940)				₹74180

उपरोक्त क्रम संख्या (1) के अनुसार कमाडिंग ऑफिसर प्रथम नेबल यूनिट एन०सी०सी० बिलासपुर से वर्ष 2004 से ₹51740/- प्राप्त करने को है परन्तु दस वर्ष का समय बीत जाने के पश्चात भी इस राशि की वसूली नहीं की गई। अतः इतने लम्बे समय से राशि की वसूली न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अब उक्त के अतिरिक्त समस्त वसूली योग्य ₹74180/- की प्राप्ति हेतु सम्बन्धित विभागों के साथ मामला उठाया जाये तथा इस राशि की यथाशीघ्र वसूली करके अपेक्षित राशि जल क्रीड़ा केन्द्र निधि में जमा करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6 निर्धारित दरों से कम ₹15800/- की वसूली करना:-

लेखा परीक्षा के दौरान अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि जल क्रीड़ा केन्द्र में ठहरने वाले व्यक्तियों से निर्धारित दरों से कम राशि की वसूली करने के फलस्वरूप निम्न विवरणानुसार ₹15800/- की कम वसूली की गई थी। अतः कम वसूली करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त कम वसूल की गई राशि की उचित स्रोत से यथाशीघ्र वसूली सुनिश्चित करके अपेक्षित राशि जल क्रीड़ा केन्द्र निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाए।

क्र० सं०	जल क्रीड़ा केन्द्र रजिस्टर क्र०सं०	ठहरने वाले व्यक्ति का नाम/पता	ठहरने की अवधि/दिनांक	ठहरने हेतु किए गए कमरे/अन्य भवनों का विवरण	दर	प्राप्ति योग्य	प्राप्त राशि	कम प्राप्ति
1	79	श्री एस०आर० कौशल सिनेमा कलोनी बिलासपुर	23.10.04 (1 दिन) 23.10.04 (1 दिन) 23.10.04 (1 दिन)	ग्राउंड हॉल 1 नं० किचन व पैन्ट्री	2500 300 200	2500 300 200		
				योग		3000	2500	500

2	97	श्री प्रेम कुमार बिलासपुर	9.7.05 9.7.05	ग्राउंड हॉल 1 नं०	2500 300	2500 300		
				योग		2800	1500	1300
3	77	निरंकारी समागम मण्डल बिलासपुर	25.9.04 से 1.10.04 (6 दिन)	किचन पैन्ट्री	200	1200		
			26.9.04 से 1.10.04 (5 दिन)	कमरा नं० 3	100	500		
			26.9.04 से 1.10.04 (5 दिन)	कमरा नं० 4	100	500		
			26.9.04 से 1.10.04 (5 दिन)	हॉल नं० 1	300	1500		
			27.9.04 से 1.10.04 (4 दिन)	कमरा नं० 28 (डी)	160	640		
			28.9.04 से 1.10.04 (3 दिन)	कमरा नं० 8 (डी)	160	320		
			29.9.04 से 1.10.04 (2 दिन)	कमरा नं० 19 (डी)	160	160		
			30.9.04 से 1.10.04 (1 दिन)	कमरा नं० 17 (डी)	160	160		
			30.9.04 से 1.10.04 (1 दिन)	कमरा नं० 5 (डी)	160	22500		
			25.9.04 से 3.10.04 (9 दिन)	ग्राउंड	2500	8040		
			1.10.04 से 3.10.04 (3 दिन)	सभी कमरे व हॉल	2680	—		
						36000	22000	14000
					कुल योग			15800

7 वसूली गई ₹5460/- को जमा न करवाने बारे:-

जल क्रीड़ा केन्द्र में ठहरने वाले लोगों के विवरणी की सम्बन्धित रजिस्टर से जाँच करने पर पाया गया कि जल क्रीड़ा केन्द्र में ठहरने वाले निम्नलिखित व्यक्तियों से प्राप्ति की गई ₹5460/- के सम्बन्ध में न तो रसीदें जारी की गई थी और न ही इन राशियों को रोकड़ बही व बैंक खातों में जमा किया गया था। अतः अपेक्षित ₹5460/- की चूककर्ता/उचित स्रोत से वसूली करके इसे निधि में जमा किया जाये तथा अनुपालना से यथाशीघ्र लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

क्र०सं०	रजिस्टर क्र०सं०	ठहरने वाले व्यक्ति का नाम/पता	ठहरने की अवधि	रजिस्टर के अनुसार प्राप्त राशि
1	72	श्री सोहन लाल शर्मा मेन मार्केट बिलासपुर	2.12.03 से 3.12.03	2240
2	74	श्री चन्द्र शेखर रोड़ा सैक्टर बिलासपुर	26.1.04 से 27.1.04	1220
3	75	श्री ज्ञान चन्द बिलासपुर	1.2.04 से 2.2.04	2000
कुल राशि				₹5460

8 भुगतान के सत्यापन हेतु वाउचर लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत न करना:—

लेखा परीक्षा के दौरान अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित वाउचर अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे। अतः इन वाउचरों को आवश्यक जाँच हेतु आगामी अंकक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाये।

क्र०सं०	भुगतान का विवरण	भुगतान की तिथि	रोकड़ बही पृ०	राशि
1	मै० राम लाल आनन्द बिल नं० 4534 दिनांक 2.10.03	9.10.03	6	398
2	मै० राम लाल आनन्द बिल नं० 1318 दिनांक 4.10.03	9.10.03	6	398
3	मै० राम लाल आनन्द बिल नं० 1469 दिनांक 10.10.03	20.10.03	6	398
4	मै० अबू वीडियो गेम बिल नं० 671 दिनांक 14.10.03	20.10.03	6	122
5	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का माह 8/10 व 9/10 का भुगतान	20.10.03	6	7320
6	मै० अबू वीडियो गेम बिल नं० 933 दिनांक शून्य	22.10.03	6	180
7	वाटर चार्जिज बिल रसीद संख्या 4014 दिनांक 27.10.3	27.10.03	7	80
कुल राशि				₹8896

9 रोकड़ बही में ₹85/— का अधिक भुगतान दिखाया जाना:—

दिनांक 4.12.12 को ₹4340/— का भुगतान कार्यालय के बिजली के बिल के रूप में किया गया दर्शाया गया था। जाँच में पाया गया कि बिजली का बिल ₹4255/— का था तथा अभिलेखों में रसीद भी ₹4255/— की ही थी परन्तु रोकड़ बही में भुगतान दर्शाते समय रोकड़

बही के पृष्ठ 101 पर दिनांक 4.12.2012 को ₹4340/- का भुगतान दर्शाया गया था। इस प्रकार ₹4255/- के स्थान पर ₹4340/- का भुगतान दर्शाये जाने के कारण ₹85/- का अधिक भुगतान दर्शाया गया था जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अधिक भुगतान की गई ₹85/- की चूककर्ता/उचित स्रोत से वसूली करके जल क्रीड़ा केन्द्र निधि में जमा की जाये व अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

10 स्थाई व अस्थायी सामान हेतु अलग अलग स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव न करना:—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि जल क्रीड़ा केन्द्र बिलासपुर में क्रय किये गये स्थाई व अस्थायी सामान के लिए अलग-अलग स्टॉक रजिस्ट्रो का रख-रखाव नहीं किया गया था जबकि प्रक्रियानुसार स्थाई व अस्थायी सामान हेतु अलग अलग स्टॉक रजिस्ट्रो का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित होता है। अतः तुरन्त प्रभाव से स्थाई व अस्थायी सामान हेतु अलग-अलग स्टॉक रजिस्ट्रो का रख-रखाव सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक मद हेतु पृथक-पृथक पृष्ठ आबंटित करके तदनुसार स्टॉक प्रविष्टियाँ की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि यह सुगमता से ज्ञात हो सके कि जल क्रीड़ा केन्द्र में अमुक तिथि को अमुक वस्तु की कितनी प्रमात्रा उपलब्ध थी।

11 स्टॉक व स्टोर में पड़े सामान का भौतिक सत्यापन न करवाना:—

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 140 के अनुसार स्टॉक व स्टोर में पड़े सामान का भौतिक सत्यापन वर्ष में कम से कम एक बार करवाया जाना अपेक्षित है परन्तु जल क्रीड़ा केन्द्र बिलासपुर द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान स्टॉक व स्टोर में पड़े सामान का कमेटी गठित करने के उपरान्त भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया। अतः उक्त बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये भविष्य में उपरोक्त प्रावधानानुसार स्टॉक व स्टोर में पड़े सामान का भौतिक सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत कार्यवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 विविध:—

(क) रोकड़ बही को डी0डी0ओ0 द्वारा हस्ताक्षरित/सत्यापित न करना:—

जाँच में पाया गया कि डी0डी0ओ0/आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दिनांक 15.7.2003 से 16.9.2003, 25.11.03 से 11.10.05, 29.10.05 से 4.12.06 व 22.01.07 से 9.1.12 की

रोकड़ बही को हस्ताक्षरित/सत्यापित नहीं किया गया था जबकि रोकड़ बही की प्रत्येक प्रविष्टियाँ तथा शीर्षों को डी0डी0ओ0/आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित था। अतः रोकड़ बही को डी0डी0ओ0/आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा नियमित रूप से सत्यापित न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा रोकड़ बही की प्रविष्टियाँ तथा शेषों को सत्यापित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) रसीद बुकों की प्राप्ति से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर का निर्माण न करना:—

केन्द्र द्वारा रसीद बुकों की प्राप्ति से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर का निर्माण नहीं किया गया था। अतः रसीद बुकों की प्राप्ति/जारी करने तथा अन्तशेष इत्यादि से सम्बन्धित विवरण का दर्शाने के लिए स्टॉक रजिस्टर का निर्माण न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा रसीद बुकों की प्राप्ति से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर का निर्माण करके उसमें वाँछित प्रविष्टियाँ करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(ग) रसीद बुक का पूर्ण रूप से उपयोग न करना:—

जाँच में पाया गया कि रसीद बुक नं0 10 में रसीद संख्या 916 से 1000 लम्बे समय से खाली पड़ी थी जबकि इसके पश्चात अन्य रसीद बुकों का उपयोग किया गया है। अतः रसीद संख्या 916 से 1000 का उपयोग न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(घ) पेट्रोल उपयोग रजिस्टर का निर्माण न करना:—

जल क्रीड़ा बिलासपुर द्वारा पेट्रोल से चलने वाले दो सीटर एवं चार सीटर वोट प्रर्यटकों को चलाने के लिए किराये पर दिये जात थे। इन वोटों में पेट्रोल के उपयोग से सम्बन्धित दिनांक 1.7.03 से 31.3.14 के रजिस्टर का निर्माण नहीं किया गया था। अतः पेट्रोल के उपयोग/खपत रजिस्टर का निर्माण न करने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए पेट्रोल के उपयोग/खपत रजिस्टर का निर्माण करके तथा खपत की दर निर्धारित करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(ङ) केन्द्र में ठहरने से सम्बन्धित का रख-रखाव सही ढंग से न करना:—

जल क्रीड़ा केन्द्र में खिलाड़ियों एवं अन्य लोगों के ठहरने से सम्बन्धित रजिस्टर का रख-रखाव उचित प्रकार से नहीं किया गया था। अतः जल क्रीड़ा केन्द्र में ठहरने वाले खिलाड़ियों एवं अन्य व्यक्तियों के ठहरने से सम्बन्धित रजिस्टर में पूरा पता लिखा जाना, आने व जाने का समय दिनांक सहित दिया जाना तथा उपयोग किये गये कमरों एवं अन्य का विस्तृत विवरण दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 **लघु आपत्ति विवरणिका:—** लघु आपत्तियों का निपटारा लेखा परीक्षा के दौरान करवा दिया गया। अतः लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

14 **निष्कर्ष:—** लेखाओं के रख-रखाव में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता /—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14) 304 / 14, खण्ड—1—6775—78 दिनांक, 5.11.14
शिमला—171009

पंजीकृत प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. वरिष्ठ जल क्रीड़ा अनुदेशक/प्रभारी, जल क्रीड़ा केन्द्र बिलासपुर, जिला बिलासपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सम्बन्धित खेल संस्थान मनाली—175131 हि0प्र0
3. अवर सचिव (युवा सेवाएं एवं खेल) हि0प्र0 सरकार, शिमला—171002
4. श्री चम्बेल सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा.....

हस्ता /—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.